कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, धनबाद

मिश्रित भवन भू–तल (ग्राउंड फ्लोर) धनबाद–826001, फोन–2313578, फैक्स–0326–2313578

अल्पकालीन निविदा

उप विकास आयुक्त धनबाद के ज्ञापांक–1347 दिनांक 10.07.2017 द्वारा विधायक मद (सामान्य) योजना अन्तर्गत पी0के0 राय स्मारक महाविद्यालय, धनबाद में छात्र–छात्राओं को बैठने के लिए बेंच डेस्क की आपूर्ति हेतु योजना के प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए 2,50,000 रू0 की राशि की विमुक्त की गई है, जो अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त है। बेंच डेस्क के क्रय हेतु अल्प कालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदादाता मोहर बन्द लिफाफे में दिनांक 08.09.2017 के 2:00 बजे अपराहन तक मिश्रित भवन स्थित कार्य दिवस एवं कार्यावधि में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा कर सकते है। निविदा दिनांक 08.09.2017 को 3:00 बजे अपराहन में प्राधिकृत क्रय समिति के सदस्यों के समक्ष खोला जायेगा। बेंच डेस्क से संबंधित विवरण निम्नवत है :–

1. Steel Desk-Bench top size 6’ x 15” and bench size 6’ x 10” of standard height in 1” sq from pipe frame 18 gage with 6 legs with laminated board if 18 mm.

निविदा की शर्त्ते :–

1. अग्रधन के रूप में राष्ट्रीय कृत बैंक के 5,000 रू0 का बैंक ड्राफ्ट जिला शिक्षा पदाधिकारी, धनबाद के नाम जमा करना होगा, जो क्रय समिति के बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार अग्रधन की राशि वापस की जायेगी अथवा अवैध आचरण या तय समय पर सामाग्री आपूर्ति नहीं करने पर उक्त अग्रधन की राशि जब्त की जा सकती है।
2. तकनीकी एवं वित्तीय बीड अलग–अलग मोहर बंद लिफाफा में डाल कर देना होगा।
3. तकनीकी बीड पहले खोला जायेगा। तकनीकी बीड में पात्रता सुनिश्चित करने के बाद ही वित्तीय बीड खोला जायेगा।
4. तकनीकी निविदा की शर्त्ते–झारखण्ड में GST (वस्तु एवं सेवा कर) प्रमाण पत्र, निविदा में जो वस्तुए है उसमें निविदादाता आवश्यक रूप से GST (वस्तु एवं सेवा कर) में निबंधित होना चाहिए, आयकर रिटर्न की अद्यतन प्रति, पैन कार्ड की छायाप्रति, निविदा से संबंधित अनुभव प्रमाण पत्र एवं अग्रधन राशि का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा, काली सूची में दर्ज नहीं होने का शपथ पत्र नोटरी द्वारा निर्गत संलग्न करना आवश्यक है।
5. वित्तीय बीड में केवल सामाग्री का दर अलग–अलग निर्धारित करना होगा।
6. सामाग्री की आपूर्ति पी0 के0 राय स्मारक महाविद्यालय, धनबाद में पहुँचाकर करना होगा। जिसके लिए अलग से कोई परिवहन व्यय अथवा हथालन व्यय देय नहीं होगा।
7. किसी भी निविदा को आंशिक या पूर्ण रूप्र से स्वीकार या सरकारी अनुदेश के आलोक में अथवा प्रशासनिक दृष्टिकोण से रद्द करने का अधिकार कय समिति को सुरक्षित होगा।
8. सभी सामग्रियों का दर सभी राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST) एवं केन्द्र वस्तु एवं सेवा कर (CGST) सहित अंकित करना होगा।

22.8.17

जिला शिक्षा पदाधिकारी

धनबाद।

22.08.2017